भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं॰ 2455

दिनांक 05.03.2020 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्वच्छ भारत मिशन

2455. श्री अरविंद धर्मापुरीः
श्री वाई॰ एस॰ अविनाश रेड्डीः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तेलंगाना राज्य में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान तेलंगाना राज्य में स्वच्छ भारत मिशन के लिए कितनी निधि मंजूर की गई है;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से जारी निधि का पूर्ण रूप से उपयोग कर लिया गया है;

(घ) क्या सरकार के संज्ञान में यह आया है कि कार्यक्रम के क्रियान्वयन में दिशा–निर्देशों का उल्लंघन हुआ है और अन्य उद्देश्यों/योजनाओं के लिए निधि का विपथन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा दिशा–निर्देशों के उल्लंघन के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) ऑनलाइन एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर तेलंगाना राज्य द्वारा सूचित आँकड़ों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत तेलंगाना में निर्मित वैयक्तिक घरेलू शौचालयों की संख्या निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	निर्मित आईएचएचएल की संख्या
2016-17	5,20,029
2017-18	15,52,975
2018-19	4,70,819

तेलंगाना राज्य के सभी 14,200 गाँवों ने स्वयं को खुले में शौचमुक्त (ओडीएफ) घोषित किया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत तेलंगाना को केंद्रीय हिस्सेदारी से जारी धनराशि निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	जारी की गई धनराशि (करोड़ रुपए में)
2016-17	135.72
2017-18	481.94
2018-19	515.05

(ग) से (ड.) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत जारी निधियों का उपयोग आम तौर पर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्यों द्वारा किया जाता है। जब कभी भी निधियों के उपयोग में दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो उस मामले को समुचित सुधारात्मक उपायों के लिए राज्यों के साथ उठाया जाता है।